क्रम संख्या–02 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 10 जनवरी, 2023 ई0

पौष 20, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 09 / XXXVI (3) / 2023 / 72(1) / 2022

देहरादून, 10 जनवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 10 जनवरी, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 01, वर्ष– 2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2023)

महिला नागरिकों के पक्ष मे, राज्य मे लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त लोक सेवा एंव पदों मे क्षैतिज आरक्षण देने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह 18 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) **"अधिवास"** से उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 2588/एफ–4/साप्रा./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या भर्ती के समय प्रवृत्त अन्य किसी शासनादेश में निर्धारित पात्रता मानक अभिप्रेत है;

(ग) **"क्षैतिज आरक्षण"** से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को लोक सेवाओं और पदों में दिया गया क्षैतिज आरक्षण अभिप्रेत है;

(घ) **"लोक सेवाओं और पदों"** से राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवा और पद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें और पद भी सम्मिलित हैं :–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (अ) जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है।

(ड.) **"महिला अभ्यर्थी"** से भारत की ऐसी महिला नागरिक अभिप्रेत है जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है, अथवा भारत की ऐसी महिला नागरिक जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नही है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एफ–4/साप्रा./2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

उत्तराखण्ड में अधिवासित महिलाओं हेतु आरक्षण

3. (1) लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी अधिवासित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में सीधी भर्ती में, रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, दिनांक 24 जुलाई, 2006 तक बीस प्रतिशत तथा उसके पश्चात् तीस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

(2) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों से संबंधित उत्तराखण्ड राज्य में अधिवासित महिला अभ्यर्थी के लिए क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार होगा:

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार निहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अभिलेख मांगने की शक्ति

5. यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह आता है कि धारा 2 की खण्ड (ड.) में परिभाषित कोई महिला अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकेगी और ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति

6. इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित क्षैतिज आरक्षण के प्रयोजनों के लिए महिला अभ्यर्थी हेतु अधिवास प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा :

परन्तु यह कि उक्त अधिवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक नियमों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण

7. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

8. धारा 3 एवं धारा 4 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे उत्तराखण्ड के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

व्यावृत्ति

9. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती निम्नलिखित आधार पर की गयी है:–

(एक) जहाँ केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" तथा "भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के अधिवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018" के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सत्र के दौरान विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अध्यारोही प्रभाव

11 किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा निर्देशों में उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे।

कतिपय कृत्यों का विधिमान्यकरण

12 (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व महिला क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या 1966/XXX(2)/2006 दिनांक 24 जुलाई, 2006 के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिकारी, न्यायाधीश के रूप मे किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रत्येक आदेश और तैनाती, प्रोन्नति या स्थानांतरण के प्रत्येक आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिकारी, न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक शक्ति और निष्पादित कृत्य, व्यवहार किया गया प्रत्येक मामला, की गई प्रत्येक कार्यवाही, प्रत्येक आदेश, निर्णय, डिक्री या पारित किया गया प्रत्येक दंडादेश और किया गया प्रत्येक अन्य कृत्य, इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया, निष्पादित, व्यवहार किया गया, लिया गया, पारित या किया गया समझा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

13. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक संरचना के कारण राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकट जीवन यापन करते हैं। विशेषतया राज्य की महिलाएं विषम परिस्थितियों में जीवन का निर्वाह करती है; जिस कारण इनका जीवन स्तर अन्य राज्यों की महिलाओं से निम्न है। राज्य की महिलाएं अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को नहीं पा सकी हैं और राज्य की लोक सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। अतः सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार, लोक नियोजन में लैंगिक समानता आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं को राज्याधीन सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री